न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 108/2020

अनवान : –

1. मिनाक्षी पुत्री राजेन्द्र उम्र 11 वर्ष जरिये बली माता सुदेश पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल निवासी जीजीएम गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. देव पुत्र उम्र 8 वर्ष पुत्र राजेन्द्र उम्र 11 वर्ष जरिये बली माता सुदेश पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल निवासी 7 जीजीएम गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. ईशिता पुत्री विकम उम्र 4–1/2 वर्ष जरिये बली माता रितु पत्नी विकम जाति जाट निबासी बडबिराना तहसील नोहर हाल निवासी 7 जीजीएम गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. मोहरसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. विकम पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय भादरा तहसील भादरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **सायल**
श्रीमती संजु भाटी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः 23/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 258/241 के ख.न. 24/1 की 0.4430 हैक्टर, ख0न0 281/2 की 0.2530 हैक्टर, ख0न0 282/2 की 5.7790 हैक्टर, ख0न0 283 की 1.0620 हैक्टर, बारानी कुल 4 किता की 7.5370 हैक्टर, भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 119/117 के ख.न. 282/1 की 1.2010 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 मोहरसिंह का 316/1201 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोतीबडी तहसील नोहर के खाता सं. 102/101 के ख.न. 155 की 1.1380 हैक्टर भूमि गैरसायलान सं. 2 व 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा, भूमि रोही मौजा डुगराना तहसील भादरा [illegible] ख[illegible] सं. 342 / 327 के ख.न. 467 की 8.9150 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. [illegible] भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

सायलान के दादा हेतराम फौत हो चु[illegible] है एवं बाद फौतद[illegible]रोक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणा पर ब.हि.ब. औद हुई एवं गैरसायल सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा बड़बिराना

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता सं. 258/241 के ख.न. 24/1 की 0.4430 हैक्टर, ख0न0 281/2 की 0.2530 हैक्टर, ख0न0 282/2 की 5.7790 हैक्टर, ख0न0 283 की 1.0620 हैक्टर, बारानी कुल 4 किता की 7.5370 हैक्टर, भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 119/117 के ख.न. 282 / 1 की 1.2010 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 मोहरसिंह का 316/1201 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोतीबडी तहसील नोहर के खाता सं. 102/101 के ख. न. 155 की 1.1380 हैक्टर, भूमि गैरसायल सं. 2 व 3 का 1/4, 1/4, हिस्सा, भूमि रोही मौजा डुगराना तहसील भादरा के खाता सं. 342/327 के ख.न. 467 की 8. 9150 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 मोहरसिंह का 196 हिस्सा भूमि दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायलान अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 258/241 की कुल 7. 5370 हैक् खाता संख्या 119/117 की कुल 1.2010में से गैरसायल न० 1 का 316/1201 हिस्सा रोह मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 102/101 के खसरा न० 155/1.1380 रोही मौजा डुगराना के खाता संख्या 342/327 के खसरा न0 467/8. 9150 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 258/241 की भूमि पैतृक भूमि है जबकि अन्य समस्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है जिसमें मुझ गैरसायल के जीवनकाल में किसी का भी कोई हक हिस्सा नही है इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे [illegible] हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थ[illegible] 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह दे[illegible]या मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने से दिनांक 08.09.2020 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested